महोदय, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए आग्रह के आलोक में वनांचल क्षेत्र में औषधियों एवं उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण के लिए आगे बढ़कर राज्य सरकार को आवश्यक मदद करे, जिससे किसानों एवं उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सके, धन्यवाद।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Shrimati Chhaya Verma.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by Shrimati Chhaya Verma.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by Shrimati Chhaya Verma.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by Shrimati Chhaya Verma.

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

Demand for launching a special drive for compassionate appointments within a fixed time-frame in Government departments

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, सरकारी कर्मचारी की जब मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है तो उस पर आश्रित परिवार बिना किसी देख-रेख बेसहारा हो जाता है। ऐसे हालात में परिवार निरंतर बढ़ती हुई जीवन-यापन की लागत वहन करने में समर्थ नहीं हो पाता है। वस्तुतः सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रावधान मौजूद है, पर खेद की बात है कि मामूली आधार पर रोजगार देने से तकरीबन सभी विभाग इन्कार करने लगे हैं। अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए परिवार बहुत परेशानियों का सामना करता है। कभी-कभी इस आधार पर भी रोजगार देने से इन्कार कर दिया जाता है कि ऐसी नियुक्तियों के लिए निर्धारित कोटा समाप्त हो गया है अथवा परिवार के सदस्यों में से कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है। बहुत ही कम मामलों में सरकारी कर्मचारी के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल पाती है।

सदन के माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि सभी विभागों को विशेष अभियान चलाकर, प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की अनुकम्पा नियुक्ति एक निश्चित समय सीमा के भीतर कर देनी चाहिए और जब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती तब तक उस परिवार को एक निश्चित गुजारे लायक भत्ता मिले जिससे आश्रित परिवार अनुकंपा नियुक्ति मिलने तक अपना जीवन-यापन कर सके।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Demand to approve conservation plan for historical excavation site at Navratangarh in Jharkhand

श्री समीर उरांव (झारखंड): महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं माननीय संस्कृति मंत्री जी का ध्यान, नवरतनगढ़, सिसई प्रखंड, जिला गुमला जो मेरे गृह राज्य झारखण्ड में है, उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12.49 एकड़ है, जो बहुत पुराना है और सन 1676 ई. में बना है। यहां पर खुदाई के दौरान ज़मीन के अंदर कई पुरातत्व प्रतिमाएं एवं वास्तु के अवशेष मिले हैं। इसके संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग बीते कई वर्षों से, राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए प्रयत्नशील रहा था। निश्चित रूप से वर्तमान में राष्ट्रीय धरोहर घोषित होने से इस ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल के संरक्षण और विकास के लिए एक नई उम्मीद जगी है।

मैं इस सदन को इस स्थल के बारे में बताना चाहता हूं कि यहां सुप्रसिद्ध कपिलनाथ मंदिर है, जो झारखण्ड राज्य के आम जनमानस के धर्म, आस्था और अद्भुत कला एवं संस्कृति का प्रतीक है।

वर्तमान में नवरतनगढ़ को संरक्षित और विकसित करने के लिए इसका डिटेल्ड कन्ज़र्वेशन प्लान अनुमोदन के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग में लंबित है। अतः सरकार से अनुरोध है कि सरकार यथाशीघ्र डिटेल्ड कन्ज़र्वेशन प्लान के अनुमोदन के लिए आदेश पारित करने की कृपा करे।

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.